डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री रिछपाल सिंह बुरड़क (आर0ए0एस0)

राजस्व अपील संख्या :– 170/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/371

उनवान

1. राजकुमार } पुत्रान धर्मपाल
2. भूरीसिंह }
3. शान्ति बेवा धर्मपाल
4. ज्ञानेन्द्र } पुत्रान नेपालसिंह
5. वीरेन्द्र
6. रघुवीर
7. चन्द्रवीर
8. करतारी बेवा नेपालसिंह
9. सपना बेवा रामवीर
10. नेपाल पुत्र रामवीर
11. देवेन्द्र नवीरा रामवीर
12. सोनवीर नवीरा रामवीर
13. जगपालसिंह पुत्र खड़गसिंह

जाति जाट निवासी ऊँदरा तहसील व जिला भरतपुर

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. नवल सिंह पुत्र लालाराम जाति जाटव निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 158/2007 बउनवानी नेपालसिंह बनाम नवलसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

यह अपील .....22.....माह.....05.....सन्.....2026.....व ..... मिनजानिब अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता **श्री पुरुषोत्तम मुदगल** एड....., एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता **श्री विजय सिंह कुन्तल** उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व डिक्री यथावत रखे जाते हैं।**

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....22.....माह.....05.....सन्.....2026.....को जारी की गई।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 170/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/371

उनवान

1. राजकुमार } पुत्रान धर्मपाल
2. भूरीसिंह }
3. शान्ति बेवा धर्मपाल
4. ज्ञानेन्द्र } पुत्रान नेपालसिंह
5. वीरेन्द्र }
6. रघुवीर }
7. चन्द्रवीर }
8. करतारी बेवा नेपालसिंह
9. सपना बेवा रामवीर
10. नेपाल पुत्र रामवीर
11. देवेन्द्र नवीरा रामवीर
12. सोनवीर नवीरा रामवीर
13. जगपालसिंह पुत्र खड़गसिंह

} जाति जाट निवासी ऊँदरा तहसील व जिला भरतपुर

.............अपीलान्ट्स

बनाम

1. नवल सिंह पुत्र लालाराम जाति जाटव निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

...........रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 158/2007 बउनवानी नेपालसिंह बनाम नवलसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2024 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री पुरुषोत्तम मुदगल उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 158/2007 बउनवानी नेपालसिंह बनाम नवलसिंह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी खसरानम्बर 901/953/0.08 वाके गाम भरंगरपुर तहसील भरतपुर स्थित के वादीगण समभाग के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। बन्दोबस्त विभाग ने वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की साबिक खातेदारी के रकबे से निर्मित हाल खसरा नम्बरान 901/953/0.08 को प्रतिवादी के नाम खिलाफ कानून व खिलाफ मौका खातेदारी में अंकित कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अब प्रतिवादी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर पर अपना अधिकार जमाना शुरु कर दिया तथा वादीगण की खातेदारी मानने से इंकार कर दिया है। इसलिए वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 901/953/0.08 पर प्रतिवादी के इन्द्राज को कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें तथा अन्यत्र हस्तान्तरण न करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.09.2024 को निर्णय पारित कर दावा वादीगण साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम मुदगल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विजय सिंह कुन्तल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बरान 771/1.19., 787/3.13, 788/1.0, 791/2.1, 792/2.11, 793/1.18, 794/7.13, 797/1.18, 798 मिन/36.10, 811/0.9, 815/0.10, 832 मिन/3.10, 834/2.10, 846/0.19, 847/0.16, 850/2.12, 798 मिन/9.2 किता 17 रकवा 79 बीघा 11 विस्वा इन साविक खसरा नम्बरान को दिनांक 10.6.1976 को जरिये पंजीकृत वयनामा अपीलांटान व उनके पितामह द्वारा कय किया गया था जो अलग–अलग तीन बयनामा द्वारा तत्कालीन खातेदारो से क्रय किया था वरोज बयनामा से ही अपीलांटान उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बरान बनाये गये हैं जो 860/0.31, 861/0.01, 906/0.54, 907/1.06, 909/0.14, 910/0.30, 912/0.49. 913/0.55, 930/0.89, 931/0.80, 838/0.29, 862/0.45, 868/1.70 874/0.24, 975/0.56, 901/2.26, 905/1.20, 901/953/0.08, 872/0.67 877/0.17 हैं। इनमें से खसरा नम्बर 901/953/0.08 है० वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील भरतपुर को बिना किसी कारण के खरीदशुदा रकबा को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के नाम गलत रूप से भू प्रबन्ध विभाग ने रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट को उसका रकवा पूरा मिला हुआ है। चूँकि रेस्पोडेन्ट अपने साबिक खसरा नम्बर 832 पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है मगर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न कर बहुत बडी कानूनी त्रुटि की है अतः आदेश व डिकी काबिल खारिजी है। दावा के चलते रेस्पोडेन्ट ने अपनी स्वीकृति जाहिर की थी तथा जिस पर स्वीकृति बावत रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर भी कराये गये तथा सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संतुष्ट होने पर दावा डिकी किये जाने का आश्वासन देकर न जाने किस कारण से दावा वादीगण खारिज कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। साबिक खसरा नम्बर 832 बडा नम्बर होने के कारण मिन नम्बर हो गया यानिक की कई खसरा नम्बरो मे जाना पाया गया इसी कम मे खसरा नम्बर हाल 901/953 रकवा 0.08 है० रेस्पोडेन्ट के खाते मे गलत दर्ज कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान यह स्वीकार किया था कि खसरा नम्बर 901/953/0.08 है० पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलांटान वादीगण का ही कब्जा है मेरा कब्जा नही है। इस प्रकार से सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं० 1 का निर्णय बडी ही जल्दबाजी मे बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही आदेश जेर अपील पारित किया है जो न्याय संगत नही होने से काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं० 2 का निर्णय भी मात्र कयास के आधार पर पारित किया गया है क्योकि जब रेस्पोडेन्ट का उक्त विवादित आराजी पर कब्जा ही नही रहा है तो धारा 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट की रिलीफ रेस्पोडेन्ट को देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहत द्वारा आदेश अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग न कर बड़े ही मनमाने ढंग से आदेश जेर अपील पारित किया गया है। तनकी सं० 3 मे धारा 46 का उल्लंघन माना है जबकि उक्त विवादित आराजी को अपीलांटस द्वारा सन 1976 मे ही क्रय कर लिया था जो सवर्ण से क्रय किया गया था भूलवश भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित होने से धारा 46 राज० टीनेन्सी एक्ट की धारा का भी उल्लंघन नही होता है। इस प्रकार तनकी सं० 3 का विवेचन भी सही नही होने से काबिल खारिजी है तथा तीनो तनकीयात वादीगण अपीलांटस के पक्ष मे भली भाँति साबित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से साक्ष्य आदि पर विश्वास न कर बहुत बड़ी कानूनी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि आदेश व डिक्री दिनांक 03.09.2024 की है जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर्मचारियो द्वारा पत्रावली पीठासीन अधिकारी के यहाँ होना बतलाया तथा निर्णय की तारीख नही बतलाई गई जब अपीलांटान का पुत्र भूरीसिंह पता करने दिनांक 24.9.2024 को कार्यालय सहायक कलक्टर भरतपुर गया तो पता चला कि आदेश दिनांक 3.9.2024 को ही सुना दिया गया जिस पर उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 25.9.2024 को प्राप्त हुई तथा फिर अपील के खर्चे की व्यवस्था करता रहा क्योकि अपीलांट गरीब व्यक्ति हैं तथा आज अपील बिना किसी देरी के जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी दिनांक 3.9.2024 से दिनांक 24.9.2024 के समय को क्षम्य करते हुऐ अपील अन्दर मियाद सुमार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर आदेश व डिक्री सहायक कलक्टर भरतपुर दिनांक 03.09.2024 निरस्त फरमाये जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 901/953 रकबा 8 ऐयर वाके ग्राम भरंगरपुर तहसील जिला स्थित है। उक्त खसरा नम्बर साबिक ख.न. 832 रकबा 12 बिस्वा से बना है प्रतिवादी नवल सिंह साबिक खसरा नम्बर 832 रकबा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार काबिज है जिससे अपीलान्ट वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादीगण उक्त विवादित आराजी के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को कोई धमकी बेदखली नहीं दी गई थी। पक्षकारान के मध्य मुख्य रुप से खसरा नम्बरान की सीमा विवाद का प्रश्न है जिसे धारा 111 राज.भू0राजस्व अधिनियम के तहत निस्तारित किया जा सकता है तथा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जबकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादीगण अपीलान्ट सवर्ण जाति के व्यक्ति है एवं एक अनुसूचित जाति की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम नहीं जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.09.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 27.11.2024 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी सं० 1:–'आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 901/953/0.08 वाकेग्राम भरंगरपुर पर प्रतिवादी के नाम हो रही खातेदारी को कलमजन कराकर अपने नाम, खातेदारी दर्ज कराने की अधिकारी है? .....वादीगण

तनकी सं0 2:– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है? .....वादीगण

तनकी सं० 3:– आया दावा जबाब दावे की मद सं0 11 के प्रावधानों के अनुसार मैन्टेनेबिल नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है? .....प्रतिवादी

4. दादरसी?

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

तनकी सं० 1:– :–'आया वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 901/953/0.08 वाकेग्राम भरंगरपुर पर प्रतिवादी के नाम हो रही खातेदारी को कलमजन कराकर अपने नाम, खातेदारी दर्ज कराने की अधिकारी है? .....वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2063–66 के मुताबिक वाकेग्राम भरगरपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 901/953/0.08 पर प्रतिवादी नवलसिंह पुत्र लालाराम जाति जाटव खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2043–62 के मुताबिक हाल आराजी खसरा नम्बर 901/953/0.08 साविक खसरा नम्बर 832 मिन रकबा 10 विस्वा से बनाया गया है। वादीगण का कथन है कि उक्त बसरा नम्बर वादीगण के खसरा नम्बर 832 मिन 3 बीघा 10 बिस्वा से बनाया है जिसके संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया जिसमें साविक खसरा नम्बर 832 मिन 3 बीघा 10 विस्वा से हाल आराजी खसरा नम्बर 901/226 हैक्टेयर बनाया गया है जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हैं। साविक खसरा नम्बर 832 मिन रकबा 10 बिस्वा के संबंध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे वादीगण का संबंध सरोकार रहा है। वादीगण द्वारा साविक नक्शा किश्तवार तथा हाल नक्शा अक्श भी पेश नहीं किया है जिससे वादीगण के गत तथा हाल खसरा नम्बरों की स्थिति का अवलोकन किया जा सके। अतः उक्त तनकी साक्ष्य के अभाव में वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

यहां पर मुख्य रुप से यह देखा जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 901/953 रकबा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम भरंगरपुर पर प्रतिवादी के नाम हो रही खातेदारी को कलमजन कराकर वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी है या नहीं। इस हेतु वादी का अपने वादपत्र में यह अभिवचन रहा है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने वादीगण की साबिक खातेदारी के रकबे से निर्मित हाल खसरा नम्बर 901/953/0.08 को प्रतिवादी के नाम खिलाफ कानून व खिलाफ मौका खातेदारी में अंकित कर दिया है जो कतई गलत है, निरस्त किए जाने योग्य है। वादपत्र में वादीगण ने यह भी अंकित किया है कि नकल मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी, साबिक विक्रय पत्र व जमाबन्दी हाल पेश हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 ग्राम भरंगरपुर के खाता सं. 63 की सत्यप्रतिलिपि पेश की है जो प्रदर्श EX-1 अंकित है के अनुसार वादग्रस्त खसरा नम्बर 901/953 रकबा 0.08 हैक्टर नवलसिंह पुत्र लालाराम जाटव सा. शहनावली खातेदार इन. 186 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2063–2066 के खाता सं. 42 की सत्यप्रतिलिपि भी पेश की है जिस पर भी प्रदर्श EX-1 अंकित है में खसरा नम्बर 860, 861, 906, 907, 909, 910, 912, 913, 930, 931, 838, 862, 868, 874, 875, 901 व 905 कुल खसरा 17 कुल क्षेत्रफल 11.79 हैक्टर जगपाल सिंह, रामवीरसिंह, नेपालसिंह पि0 खड़ग सिंह हि. बराबर जाति जाट सा.ऊदरा खातेदार दर्ज है। इन दो खातों की जमाबन्दी के अलावा एक भी दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश नहीं की गयी है बल्कि सभी अन्य पेश दस्तावेजातों की फोटोप्रतियां उपलब्ध है। इन फोटो प्रतियों पर प्रदर्श अंकित कर साक्ष्य में इन दस्तावेजों को पढ़ा भी नहीं जा सकता है। अपील स्तर पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत केवल बयनामा दिनांक 10.06.1976 पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह मानना सही है कि साबिक खसरा नम्बर 832 मिन रकबा 10 बिस्वा के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे वादीगण का सम्बन्ध सरोकार रहा हो। वादीगा द्वारा साबिक नक्शा किश्तवार तथा हाल नक्शा अक्स भी पेश नहीं किया है जिससे वादीगण के गत व हाल खसरा नम्बरों की स्थिति का अवलोकन किया जा सके। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तनकी साक्ष्य के अभाव में वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर विधिसम्मत रुप से खारिज की है। वादीगण को यहां यह सिद्ध किया जाना था कि साबिक ख. न. 832 मिन रकबा 10 बिस्वा पूर्व में उनकी खातेदारी में दर्ज था एवं उसके बाद भू–प्रंबध के दौरान इस साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा कौनसे बने, इस बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

तनकी सं० 2:– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है? .....वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। तनकी सं० 1 में विवेचन किया जा चुका है कि वादीगण का विवादित आराजी खसरा नम्बरान 901/953/0.08 का

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कोई संबंध नहीं है। चूंकि प्रतिवादी विवादित आराजी खसरा नम्बरान 901/953/0.08 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिये रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया सकता है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी सं. 2 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

तनकी सं० 3:– **आया दावा जबाब दावे की मद सं0 11 के प्रावधानों के अनुसार मैन्टेनेबिल नहीं होने से काबिल खारिज योग्य है?** .....**प्रतिवादी**

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने जबाबदावे की मद सं० 11 निवेदन किया है कि आरटीएक्ट की धारा 42 के तहत अनुसुचित जाति की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम नहीं जा सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2063–66 के मुताबिक वाकेग्राम भरगरपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 901/953/0.08 पर प्रतिवादी नवलसिंह पुत्र लालाराम जाति जाटव खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादीगण सवर्ण जाति जाट द्वारा घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। आरटीएक्ट की धारा 42 के तहत अनुसुचित जाति की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम विक्रय, दान, वसीयत करने से प्रतिबंधित है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है। क्योंकि अपीलान्ट्स अधिवक्ता का अपनी बहस में यह तर्क रहा कि आदेशिका दिनांक 22.07.2024 में यह अंकन है कि प्रतिवादी नवल स्वयं उपस्थित, दावा डिक्री किए जाने हेतु सहमत है। इसलिए प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट दावा डिक्री किए जाने हेतु सहमत था तो अधीनस्थ न्यायालय को वादपत्र के अनुतोष अनुसार दावा डिक्री कर देना चाहिए था। अपीलान्ट्स अधिवक्ता के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि सहमति या राजीनामा ऐसे तथ्य के सम्बन्ध में ही किया जा सकता है। जो कानून सम्मत हो एवं कानून की परिधि में आता हो। बिना साक्ष्य के सीधे ही अनुसूचित जाति के खातेदारी की खातेदारी भूमि सहमति के आधार पर ही सवर्ण जाति के व्यक्तियों को घोषणा कर खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व डिक्री यथावत रखे जाते हैं।
11. निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर